

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021—फाल्गुन 21, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2021

एफ 14-82-1988-दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 (असाधारण मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा संशोधित एवं प्रकाशित) के निम्न उपनियमों को संशोधित किया जाता है:—

1. उपनियम—12(3)—राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के अंदर वाहनों द्वारा भ्रमण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय के आधार पर होगा और तदनुसार परिवर्तित किया जायेगा. प्रवेश एवं निर्गम का वास्तविक समय अधिसूचित किया जायेगा तथा प्रवेश द्वार के सूचना पट पर प्रदर्शित एवं अनुज्ञा पत्रों पर मुद्रित किया जाएगा. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटन जोन में पर्यटक कोर क्षेत्र में पर्यटन जोन हेतु अधिसूचित समय के आधा घंटों पश्चात आ सकेंगे.

को संशोधन उपरांत निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

उपनियम-12(3)—राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के अंदर वाहनों द्वारा भ्रमण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय के आधार पर होगा और तदनुसार परिवर्तित किया जायेगा. प्रवेश एवं निर्गम का वास्तविक समय अधिसूचित किया जायेगा तथा प्रवेश द्वार के सूचना पट पर प्रदर्शित एवं अनुज्ञा पत्रों पर मुद्रित किया जाएगा. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटन जोन में पर्यटक कोर क्षेत्र के पर्यटन जोन हेतु अधिसूचित समय के आधा घंटा पश्चात आ सकेंगे. सूर्यास्त उपरांत अधिकतम 4 घंटों की अवधि के लिये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वाहन सफारी की अनुमति होगी. इस हेतु विस्तृत शर्तें संचालक, वन विहार निर्धारित करेंगे.

2. उप नियम 3(4)(क) फीस सारणी में निम्नानुसार प्रावधान अनुक्रमांक 9 के पश्चात अनुक्रमांक 10 पर जोड़ा जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	भ्रमण का प्रयोजन (2)	विवरण (3)	पर्यटकों हेतु प्रवेश फीस रुपये में (4)
10	सूर्यास्त उपरांत सफारी	12 वर्ष से अधिक उम्र के पर्यटक 5-12 वर्ष तक की आयु वर्ग के पर्यटक 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे	200/- प्रति व्यक्ति 100/- प्रति व्यक्ति निःशुल्क

उपरोक्त संशोधन दिनांक 02 मार्च, 2021 से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार यादव, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2021

क्र. एफ 14-82-1988-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14-82-1988-दस-2, दिनांक 2 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार यादव, पदेन सचिव.

Bhopal, the 2nd March 2021

F 14-82-1988-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) and clause (h) of sub-section (2) of Section 64, read with Section 28 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely:—

AMENDMENTS

Following Sub Rules of rule-34 of Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rule, 1974 (As amended and published in M. P. State Gazette Extra-ordinary 29th May 2018) shall be amended as follows:—

1-Sub Section-12(3) Excursions by vehicles inside National Park/Sanctuaries shall be based on the timings of sunrise and sunset shall be modified accordingly. Actual entry and exit times shall be notified and placed on the notice board at the entry gate and printed on the permits. In the tourism zone situated within the buffer area of tiger reserves, tourist may come half an hour after the time notified for tourism zone in core area.

In the said rules after amendment, the following shall be substituted:—

Sub Section-12(3) Excursions by vehicles inside National Park/ Sanctuaries shall be based on the timings of sunrise and sunset shall be modified accordingly. Actual entry and exit times shall be notified and placed on the notice board at the entry gate and printed on the permits. In the tourism zone situated within the buffer area of tiger reserves, tourist may come half an hour after the time notified for tourism zone in core area. In Van Vihar National Park, after sun set, maximum upto 4 hours vehicle safari will be permissible. For this, Director Van Vihar National Park issue separate guidelines.

2-Sub Section 3(4)(a) In Table Fee the following provisions added in serial number 10 after serial number 9:—

Sr. No. (1)	Purpose of visit (2)	Details (3)	Entry fee (in Rupees) (4)
10	Safari post sunset	Tourist above 12 years of age. Tourist aged between 5-12 years. Children below 5 year of age	200/- per person 100/- per person Free

This notification shall come into force with effect from 02 March, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY KUMAR YADAV, Ex-Officio Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2021

सूचना

क्र. एफ 3-72-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) दिनांक 5 फरवरी 2021 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 3 में, उप-नियम (पांच) में, शब्द “प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर अपनी टिप्पणी के साथ एक माह की समयावधि में शासन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर संचालक, उत्पादन क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगा” के स्थान पर, शब्द “प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई के पश्चात् प्राधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ दो माह की कालावधि के भीतर संचालक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. रिपोर्ट प्राप्त होने पर संचालक, एक माह की कालावधि के भीतर शासन को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा. शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर संचालक, उत्पादन क्षेत्र अधिसूचित करेगा” स्थापित किए जाएं.
- (2) नियम 5 में, उप-नियम (एक) में, शब्द “प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर अपनी टिप्पणी के साथ 1 माह की समयावधि में शासन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर संचालक, प्राप्ति क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगा” के स्थान पर, शब्द “प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई के पश्चात् प्राधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ दो माह की कालावधि के भीतर संचालक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, संचालक, एक माह की कालावधि के भीतर शासन को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा. शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर संचालक, प्राप्ति क्षेत्र अधिसूचित करेगा” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. एफ 03-72-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-72-2014-बत्तीस, दिनांक 3 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd March 2021

NOTICE

No. F 3-72-2014-XXXII.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and country Planning Act, 1973. The State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Transferable Development Rights Rules, 2018 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 5th February 2021 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act:—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In rule 3, in sub-rule (v), for the words “The Director shall submit his report to the Government with his comments on received objections/suggestions, in one month’s time and on getting approval from the Government the director shall notify the Generating Area”, the words “After hearing the objection/suggestions received, the Authority shall submit a report to the Director within a period of two months. with his comments. On receipt of the report, the Director shall submit its recommendations to the Government within a period of one month. On getting the approval from the Government, the Director shall notify the Generating Area” shall be substituted.

- (2) In rule 5, in sub-rule (i), for the words "The director shall submit his report to the Government with his comments on received objections/suggestions, in one month's time and on getting approval from the Government the director shall notify the Receiving Area", the words, "After hearing the objection/suggestions received, the Authority shall submit a report to the Director, with his comments within a period of two monts. On receipt of the report, the Director shall submit his recommendations to the Government within a period of one month.

On getting the approval from the Government, the Director shall notify the Receiving Area" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2021

एफ 2-12-2018-सात-7.—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 तथा 60 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (दो) तथा (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 13 में, उप-नियम (1) और (2) में, शब्द "तीस" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह" स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2021

एफ 2-12-2018-सात-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-12-2018-सात-7 दिनांक 10 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 10th March 2021

F. 02-12-2018-VII-Sec 7.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 59 and 60 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Rajaswa Ka Nirdharan Tatha Punrnirdharan) Niyam, 2018, the same have been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of Section 258 of the said, Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 13, in sub-rule (1) and (2), for the word "Thirty" the word "fifteen" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.